मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

क्रमांक 3051/म.प्र.विनिआ/2005. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं इसके साथ–साथ भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 798 (ई) जो दिनांक 09 जून, 2005 द्वारा जारी गई है के आदेश के परिपालन में तथा जो ''विद्युत (कठिनाईयां दूर किया जाना) (आठवां) आदेश, 2005'' से संबंधित है के अनुसार ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समूह उपयोगकर्ता (सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति तथा किसी एक व्यक्ति को उसके कर्मियों हेतु)'' को किसी एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय संहिता में निबंधन एवं शर्तें सम्मिलित किये जाने संबंधी है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में निम्न संशोधन/परिवर्धन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समूह उपयोगकर्ता (सहकारी गृह–निर्माण समिति तथा किसी एक व्यक्ति को उसके कर्मियों हेतु) को किसी एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय हेतु निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में संशोधन/परिवर्धन

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (तृतीय संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (iii), वर्ष 2005)'' के नाम से जानी जावेगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) यह संहिता समूचे मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 जिसे इसके आगे प्रधान संहिता कहा जावेगा अनुच्छेद 2.1 में (परिभाषा उपरांत अनुच्छेद का क्रमांक **2.1** जोड़ते हुए) सरल क्रमांक (कढ) में दी गई परिभाषा के अन्त में निम्न परिभाषा जोड़ी जावे, अर्थात :–

''(कण) ''समूह उपयोगकर्ता'' से अभिप्रेत है, सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति जो म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है अथवा एक ऐसे व्यक्ति से है जो उसके कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता हो ।''

प्रधान संहिता में अनुच्छेद 4.76 के अन्त में निम्न अनुच्छेद जोड़े जावें, अर्थात् :–

''4.77 समूह उपयोगकर्ता को प्रदाय की निबंधन एवं शर्तें :

किसी समूह उपयोगकर्ता की योग्यता : उपरोक्त उप–अनुच्छेद (कण) में परिभाषित समूह उपयोगकर्ताओं को किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी एकल बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति के विकल्प की पात्रता होगी बशर्ते विद्युत का उपयोग गैर–घरेलू गतिविधियों हेतु अनुबंध में घोषित कुल संयोजित भार के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।

4.78 प्रदाय का उपयोग प्राथमिक तौर पर आवासीय प्रयोजन के लिये समूह उपयोगकर्ता की सार्वजनिक सुविधाएं संबंधी भारों को सम्मिलित कर, जैसे, लिफ्ट व्यवस्था , जल प्रदाय पंपिग व्यवस्था हेतु पंपों का उपयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिये किया जावेगा । इस संयोजन से वाणिज्यिक/गैर–घरेलू प्रयोजनों हेतु घोषित संयोजित भार से 10 प्रतिशत अधिक के विद्युत प्रदाय का उपयोग अनुज्ञेय नहीं किया जा सकेगा । समूह उपयोगकर्ता संयोजित भार के साथ–साथ प्रत्येक गैर–घरेलू गतिविधि का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को संयोजन प्राप्ति के समय अथवा अनुबंधित मांग में अभिवृद्धि करते समय सूचित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि गैर–घरेलू भार घोषित संयोजित भार की 10 प्रतिशत अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है, उसका, भौतिक जांच संबंधी निष्पादन कर सकेगा । यदि वाणिज्यिक गतिविधि हेतु विद्युत उपयोग स्वीकृत भार से अधिक पाया जावेगा तो ऐसी दशा में इसे अनाधिकृत उपयोग समझा जावेगा ।

4.79 मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुच्छेद 4.13 से 4.18 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विधि द्वारा आवेदक समूह उपयोगकर्ता से मांग पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा

उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा । सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति के प्रकरण में, आवेदक सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति, जो एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की इच्छुक हो द्वारा पंजीयन संबंधी सत्यापित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी ।

4.80 समूह उपयोगकर्ता के आवेदन बाबत् एकल बिन्दु उच्च दाब प्रदाय के संबंध में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के अनुच्छेद 4.64 में दर्शाई गई प्रक्रिया की विधि का अनुसरण किया जावेगा।

4.81 **प्रदाय तथा मीटरिंग (मापयंत्रण) प्रणाली :** प्रदाय की प्रणाली उच्च दाब अथवा अति उच्च दाब होगी जिसका निर्धारण म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के अध्याय–3 में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की सीमाओं के अनुसार किया जावेगा ।

4.82 समूह उपयोगकर्ता को उच्च दाब मीटरिंग के अधिष्ठापन प्रदाय बिन्दु पर देयक तैयार किये जाने की दृष्टि से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रित यूनिटों का अभिलेखन (रिकार्ड) किये जाने के प्रयोजन से किया जावेगा ।

(अ) वितरण उपकेन्द्र तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना, यथा, व्यक्तिगत मीटरों तथा सेवा लाईनों संबंधी निम्न दाब लाईनें, केबल्स, फीडर पिलर्स, मीटरिंग पैनल्स को आवेदक समूह उपयोगकर्ता द्वारा बिछाया/स्थापित किया जावेगा तथा वह ऐसी समस्त परिसंपत्तियों के स्वामित्व अधिकारों को प्रतिधारित करेगा ।

(ब) समूह उपयोगकर्ता उच्च दाब मीटरिंग बिन्दु, अर्थात् प्रदाय बिन्दु के बाद के पूर्ण अधोसंरचना नेटवर्क के संधारण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । समूह उपयोगकर्ता उसके द्वारा प्रतिधारित तथा निष्पादित समस्त परिसंपत्तियों एवं कार्यों संबंधी निर्माण हेतु तथा सुरक्षा मानकों को संधारित किये जाने के संबंध में भी उत्तरदायी होगा ।

4.83 समूह उपयोगकर्ता विद्युत वितरण संबंधी विभिन्न वाणिज्यिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहेगा ।

4.84 समूह उपयोगकर्ता की प्रदाय बिन्दु तक की लाईनों के विस्तार तथा प्रणाली की उन्नयन संबंधी संपत्ति भले ही इसका भुगतान समूह उपयोगकर्ता द्वारा किया गया हो के बावजूद इसका स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी का ही होगा । अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण उसके स्वयं की लागत द्वारा करेगा तथा उसके पास उसी सेवा संयोजन/किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु उपयोग किये जाने का अधिकार निहित रहेगा परन्तु इस प्रकार से किया गया विस्तार अथवा सेवा संयोजन समूह उपयोगकर्ता को जिसके द्वारा वितरण प्रदाय नेटवर्क के विस्तार का भुगतान किया गया हो को विद्युत प्रदाय विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगा ।

4.85 समूह उपयोगकर्ता प्रदाय बिन्दु से व्यक्तिगत परिसरों हेतु उसके स्वयं के वितरण नेटवर्क के विस्तार का कार्य संपादन किसी 'सी' श्रेणी अथवा इससे उच्चतर श्रेणी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा करा सकेगा तथा उच्च दाब लाईन/अथवा उच्च दाब उपकेन्द्र एवं निम्न दाब लाईनों का विस्तार कार्य 'ए' श्रेणी ठेकेदार से करा सकेगा । ऐसे प्रकरण में, समूह उपयोगकर्ता स्वयं ही सामग्री की प्राप्ति की व्यवस्था (प्रोक्यूर) करेगा ।

4.86 प्रदाय बिन्दु पर मीटरिंग के अधिष्ठापन हेतु भूमि/आवास व्यवस्था समूह उपयोगकर्ता द्वारा निशुल्क प्रदान की जावेगी जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किराया अथवा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

4.87 समूह उपयोगकर्ता द्वारा किसी मानदण्ड पर विचार–विमर्श के प्रयोजन की दृष्टि से, अधोसंरचना के विकास हेतु तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारों की वसूली हेतु भार गणनाओं के प्रयोजन हेतु, यदि कोई हों, आवासीय कालोनी हेतु भार की गणना, उसी आधार पर की जावेगी जैसा कि इस संहिता के अध्याय–4 में आदिष्ट किया गया है ।

4.88 समूह उपयोगकर्ता को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा का उपयोग समूह उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी रीति से नहीं किया जा सकेगा जो कि अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तथा समस्त किया जा रहा उपयोग अनुबंध के उपबंधों तथा लागू अधिनियमों के अनुसार किया जावेगा ।

4.89 समूह उपयोगकर्ता द्वारा ऊर्जा का उपयोग अनुबंध में उल्लेखित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग हेतु व्यपवर्तित नहीं किया जा सकेगा । समूह उपयोगकर्ता विद्युत प्रदाय को उस क्षेत्र के अतिरिक्त जिस

हेतु इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत किया गया था उसके परिसर से परे विस्तारित नहीं कर सकेगा जब तक कि तथा जैसे ऐसे व्यपवर्तन अथवा विस्तार हेतु इसकी अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो ।

5.0 अनुबंध :

5.1 समूह उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे मानचित्र जो स्पष्ट रूप से प्लाट/भवन तथा विद्युत वितरण नेटवर्क के साथ–साथ प्रत्येक पोल व ट्रांसफार्मर अथवा अन्य कोई उपकरण का सूचीकरण दर्शाते हों तथा जिन पर उपयोगकर्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति हो गई हो तथा हस्ताक्षारित कर लिया गया हो, अनुबंध का एक भाग होंगे ।

5.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी एवं समूह उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता हो तो इसे अनुपूरक अनुबंध का सम्पादन कर किया जा सकेगा।

5.3 इस संहिता (म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता) की अन्य समस्त शर्तें जो इस संशोधन/परिवर्धन में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अतिरिक्त प्रयोज्य हों, समूह उपयोगकर्ता को भी लागू होंगी ।

6.0 प्रयोज्य टैरिफ (दर)

6.1 अनुज्ञप्तिधारी, समूह उपयोगकर्ता को, विक्रित यूनिटों से संबंधित विद्युत देयकों को, आयोग द्वारा लागू दर के अनुसार प्रेषित करेगा ।

7.0 सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति द्वारा विक्रित अथवा पट्टे पर दी गई किसी आवासीय इकाई के किसी रहवासी द्वारा क्षेत्रीय अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की मांग किया जाना :

7.1 इस विनियम के उपबंध **सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति** द्वारा रहवासी को सीधे क्षेत्रीय वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी भी प्रकार सीधे विद्युत मांग किये जाने संबंधी अधिकार को निम्न निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत वंचित नहीं करेंगे :

(i) सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति को समिति के किसी व्यक्ति को सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुमति देना होगा । सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति को निम्नांकित के संबंध में कोई आपत्ति न होगी :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को विद्युत प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क द्वारा निर्वहन किया जावेगा ।

(ब) ऐसे व्यक्ति को प्रदाय के विमोचन किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्याप्त वितरण नेटवर्क के विस्तार द्वारा किया जाना ।

(स) अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को समूह उपयोगकर्ता के परिसर में किसी भी समय नेटवर्क तक पहुंच किये जाने हेतु प्रवेश व्यवस्था के साथ–साथ प्रदाय बिन्दु पर ऐसे उपभोक्ता हेतु सेवा दायित्व का निर्वहन बिना किसी रूकावट व्यवस्थित किये जाने हेतु ।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की अधिष्ठापना ऐसे उपभोक्ता के परिसर में एक उपयुक्त स्थान पर की जावेगी तथा ऐसे व्यक्ति के मीटर का वाचन तथा विद्युत प्रदाय के देयक का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा ।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये विद्युत उपभोग के प्रभारों की वसूली स्वीकृत प्रयोज्य घरेलू दरों के अनुसार करेगा ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, (उप सचिव)